न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2012/00184
मिसल नम्बर–40/2012

1 मंदिर श्री ठाकुर जी (श्री रामचन्द्र जी विराजमान कैथून) तहसील लाडपुरा जिला कोटा जर्ये माली समाज कैथून जर्ये अध्यक्ष श्री भैरूलाल

2 माली समाज कैथून जर्ये अध्यक्ष भैरूलाल आत्मज धूलीलाल जी जाति माली निवासी कैथून व्यवस्थापक मंदिर श्री ठाकुर जी विराजमान कैथून तह0 लाडपुरा कोटा

3 सूरज किरण पुत्र श्री जगन्नाथ जी

4 किशनलाल पुत्र श्री नाथूलाल जी

5 हेमराज पुत्र श्री गोविन्दलाल जी

जाति माली निवासी कैथून तह0 लाडपुरा जिला कोटा

......................वादीगण

बनाम

1. गोरधनलाल पुत्र श्री मोडूलाल जाति बैरागी निवासी टोडी मोहल्ला कैथून तह0 लाडपुरा जिला कोटा मृतक जर्ये कायम मुकामानः–

1/1. रामजानकी बेवा गोरधनदास आयु 70 साल

1/2. राधेश्याम आत्मज स्व0 गोरधनदास आयु 45 वर्ष

1/3. सीताराम आत्मज स्व0 गोरधनदास आयु 42 वर्ष

1/4. घनश्याम दास आत्मज स्व0 गोरधनदास जर्ये कायम मुकामानः–

1/4/1 लल्ली बाई पत्नी स्व0 आयु 35 वर्ष

1/4/2 विद्याधर आत्मज घनश्याम जी नाबालिग जर्ये वली माता लल्ली बाई आयु 8 वर्ष

1/5 ओमप्रकाश आत्मज स्व0 गोरधनदास आयु 37 वर्ष

1/6 श्यामसुन्दर आत्मज स्व0 गोरधनदास

उपखण्ड अ[illegible]कारी
को[illegible]

1/7 रूकमणी बाई पुत्री स्व0 गोरधनदास जी पत्नी नन्दलाल जी आयु 50 वर्ष निवासी ग्राम बनियानी तह0 लाडपुरा जिला कोटा

2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

.... प्रतिवादीगण

—:निर्णय:—

(राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के तहत् वाद पत्र।)

दिनांक 18/3/26

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट प्रस्तुत किया गया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है। वादी क्रम 1 शाश्वत अवयस्क है, जो कैथून तह0 लाडपुरा मे विराजमान है, वादी न0 2 वादी नं0 1 का व्यवस्थापक है और वादी नं0 1 की सेवा पूजा, उसकी सम्पतियों की सुरक्षा व वादी नं0 1 के हितों की सुरक्षा का कार्य करता है, वादी नं0 3 ता 5 वादी नं0 के पदाधिकारी है।

वादी नं0 1 के खाते व कब्जे काश्त की आराजी खसरा संख्या 99 की 1.05 है0 ख0 स0 210 की 0.11 है0 कुल किता 2 की 1.16 है0 वाके चैनपुरा तह0 लाडपुरा मे स्थित है। इस बाराजी पर वादी नं0 1 की आरे से उसके व्यवस्थापक के रूप मे वादी नं0 2 द्वारा काश्त की जाती है। और उससे प्राप्त राशि से वादी नं0 1 की सेवा पूजा, मरम्मत आदि मे खर्च की जाती है।

वादी नं0 2 द्वारा प्रतिवादी नं0 1 की वादी नं0 1 का पुजारी नियुक्त किया गया था। जिसके कारण वादी नं0 1 की प्रतिवादी नं0 1 द्वारा सेवा पूजा की जाती है, जिस कर व्यवस्था व खर्चो का वहन वादी नं 2 द्वारा की जाती है।

प्रतिवादी नं0 1 के मन मे बदनियति आ गयी है। और उसने ऐन केन प्रकारेण मंदिर की सम्पतियों को खुर्द बुर्द करना प्रारम्भ कर दिया है, तथा उसके द्वारा मंदिर के जेवरात को गायब कर दिया है, भगवान श्री लक्ष्मण जी मूर्ति को खण्डित कर दिया है, तथा भगवान महादेव के मंदिर के नाड्या का सींग तोड दिया गया है। तथा समय पर मंदिर की सेवा पूजा आदि नही करता है।

वादीगण द्वारा प्रतिवादी नं0 1 को कई बार समझाया कि वह भगवान का अनादर नही करे, मंदिर की समपतियों को खुर्द बुर्द नही करे, लेकिन प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी

नं0 1 नही माना और अब वह इस प्रयास मे है कि किसी प्रकार मद नं0 2 मे वर्णित 1.16 है0 को खुर्द बुर्द कर दे, हस्तान्तरित कर दे।

प्रतिवादी नं0 1 अपने अवैध कार्य मे सफल होने मे आमादा है, उसके द्वारा कई अपराधिक तत्वों से साठ गांठ कर रखी है। और इस प्रयास मे है कि किसी प्रकार मंदिर की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लेवे, प्रतिवादी नं0 1 व उसके साथियों द्वारा यह ऐलानिया धमकिया दी जा रही है कि यदि किसी ने उसके कार्य मे बाधा डाली तो उसके गाजर मूली की तरह से काटकर कर फेंक देगा।

वादी नं0 2 ता 6 वादी नं0 1 के व्यवस्थापक है, और वादी नं01 के अवयस्क होने से वादीगण का उक्त आराजी पर कब्जा है, प्रतिवादी नं0 1 को इस आराजी पर किसी प्रकार के स्वामित्व प्राप्त नही है, न उसका कब्जा है, यदि प्रतिवादी नं0 1 अपने अवैध कार्य मे सफल हो गया तो इससे वादी नं0 1 के अधिकार प्रभावित होगे, वादी नं0 1 को आराजी सदैव के लिए छिन जावेगे। वादी नं0 1 की सेवा पूजा अर्चना आदि नही सकेगी। वादीगण का वाद पेश करना निर्थक हो जावेगा।

उपरोक्त परिस्थितियों मे वादीगण को यह अधिकार प्राप्त है कि वादीगण इस आदरणीय न्यायालय की मदद से प्रतिवादी नं0 1 को उसके अवैध कार्य को करने से रोके तथा निषेधाज्ञा प्राप्त करे।

प्रतिवादी नं0 2 लैण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाया गया है, उसके विरूद्ध कोई सहायता नही चाही गयी है।

वाद कारण प्रतिवादी नं0 1 द्वारा ताकत के बल पर वादी नं0 1 की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास करने, मना करने पर भी न मानने व जान से मारने की धमकियों देने पर दिनांक 08.05.1998 को उत्पन्न हुआ।

अतः वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीगण के पक्ष मे प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे कि प्रतिवादीगण वादी नं0 1 के खाते व कब्जे काश्त की भूमि की खसरा संख्या 99 एवं 210 की 1.16 है0 वाके चैनपुरा तह0 लाडपुरा जिला कोटा पर किसी प्रकार की मजाहमत व मदाख्लात न करे, वादीगण को उक्त आराजी से बेदखल न करे, किसी प्रकार से कब्जा न करे, इस आराजी को किसी प्रकार से हस्तान्तरित व खुर्द बुर्द न करे, प्रतिवादीगण नं0 2 रेवेन्यु रिकोर्ड मे अमल दरामद न करे, ऐसा कार्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं करे, और न अपने किसी एजेन्ट करवाये, वादी को वाद व्यय दिलाया जावे, अन्य न्यायचित सहायत हो तो वह भी प्रदान की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
को

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को समन प्रेषित किये गये। प्रतिवादी बावजूद सूचना के उपस्थित नही हुये अतः प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में तहसीलदार लाडपुरा, थानाधिकारी कैथून एवं देवस्थान विभाग से रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के पश्चात पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई।

वादीगण की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि ग्राम कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा में मंदिर ठाकुर रामचन्द्र जी स्थित है। उक्त मंदिर माली समाज का है।

वादी नम्बर 2 वादी न०1 का व्यवस्थापक है तथा उक्त मंदिर की सेवा पूजा की व्यवस्था तथा उसकी सम्पत्तियो की सुरक्षा मंदिर के हितो की रक्षार्थ करता है तथा मंदिर की व्यवस्था हेतु एक कमेटी बनी हुई है जिसके पदाधिकारी वादी न02 ल 06 है।

वादी मंदिर के खाते की आराजी ग्राम चैनपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में ख० न० 99 की 1.05 है० एवम ख० न० 210 की 1.16 हेक्टर स्थित है जो मंदिर के खाते की है जिसकी काश्त की व्यवस्था माली समाज एवम् वादीगण द्वारा की जाती है। तथा उक्त काश्त की आय से ही मंदिर की सारी व्यवस्था की जाती है तथा पुजारी को तनख्वाह दी जाती है।

वादी माली समाज द्वारा ही मंदिर की सेवा पूजा करने के लिये प्रतिवादी को पुजारी रखा गया था तथा सारी व्यवस्था माली समाज द्वारा की जाती थी। और की जा रही है।

प्रतिवादी के दिल मे बदयान्ती आ जाने के कारण उसने मंदिर की नियमित सेवा पूजा नहीं करने तथा मंदिर के जेवरात गायब कर दिये तथा मंदिर की मूर्तियो को तोड फोड करदी। इस कारण माली समाज व वादीगण द्वारा प्रतिवादी गोवर्धनदास को पुजारी से हटा दिया तथा प्रतिवादी द्वारा मंदिर की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा बनाये रखने तथा मंदिर की भूमि को खुर्द बुर्द करने की धमकी देने पर वादीगण द्वारा मंदिर की और से एक वाद 188 आर० टी० एक्ट पेश किया गया ।

प्रतिवादी द्वारा एक नाजायज गिरोह बनाने तथा जबरन भूमि पर कब्जा करने पर वादीगण की और से मंदिर के हितो की रक्षार्थ रिसीवरी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसको प्राईमाफेसी मानते हुवे उक्त आराजी पर तहसीलदार साहब को रिसीवर नियुक्त किया।

उपखण्ड अधिकारी
को

उक्त मंदिर माली समाज का है तथा विवादित आराजी भी मंदिर के खाते की आराजी है जिसकी सारी व्यवस्था काश्त की व्यवस्था माली समाज द्वारा की जाती है।

उक्त वाद पेश होने पर पूर्व में प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा यह जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजी वादी मूर्ति की पूर्व मे थी उक्त तथा उक्त आराजी को पूर्व मे प्रतिवादी के पिता बहैसियत पुजारी काबिज काश्त था तथा उनकी मृत्यु के बाद से प्रतिवादी न०1 उक्त आराजी को काश्त कर रहा है तथा सेवा पूजा कर रहा है। तथा उक्त आराजी पर बहैसियत पुजारी प्रतिवादी न०1 के पिता का नाम दर्ज था माफी रिज्यूम होने के पश्चात उक्त मंदिर से पुजारी का नाम हटाकर मंदिर के खाते की आराजी में केवल मंदिर का नाम अंकित कर दिया गया है। यह तथ्य उसने अपने जवाब मे गलत अंकित किये है। जब कि मंदिर माली समाज का है तथा वही पुंजारी रखते आये है तथा वर्तमान में भी माली समाज ही मंदिर की सारी व्यवस्था करता है तथा भूमि की सारी काश्त की व्यवस्था करते है।

प्रतिवादी का स्वर्गवास हो चुका है तथा उसके कायम मुकामान बनाये जा चुके है तथा रिकार्ड पर आ चुके है जिनकी तामीले हो गई है तथा तरमीम उनवान वाद भी पेश हो चुका है।

वादी द्वारा अपने पक्ष समर्थन में दस्तावेजात जो पत्रावली मे मौजुद है पेश किये है तथा अपने पक्ष समर्थन में साक्ष्य हेतु शपथ पत्र भी पेश किये जिनसे वादी द्वारा अपना पूरा केस प्रमाणित कर दिया गया है। प्रतिवादी की और से साक्ष्य में कोई शपथपत्र दस्तावेज भी पेश नहीं हुये है। इस प्रकार वादी द्वारा वाद पूर्णतया प्रमाणित है।

वादी ही मंदिर की सारी व्यवस्था कर रहे है तथा मंदिर की सेवा पूजा हेतु पुजारी रख रखा है तथा मंदिर की उपरोक्त आराजी की आय से ही मंदिर की सेवा पूजा उत्सव आदि करते है तथा पुजारी की तनख्वाह देते है। उक्त आराजी से मंदिर से प्रतिवादी का कोई संबंध नहीं है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री फरमाया जाये।

पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया गया। व बहस पर मनन किया गया।

तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे स्पष्ट किया गया है कि पूर्व पुजारी व वर्तमान मंदिर की कार्यकारिणी के मध्य सन् 1998 मे आपसी विवाद होने पर विवाद के निस्तारण तक उक्त भूमि पर थाना कैथून को रिसीवर नियुक्त कियागया था। पूर्व पुजारी गोरधनदास वं कार्यकारिणी के मध्य विवाद

उपखण्ड अधिकारी
को..

था। जिसमे पूर्व पुजारी गोरधन दास का देहांत लगभग 12 वर्ष पूर्व हो चुका है। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपनी रिपोर्ट मे स्पष्ट किया गया है कि प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु गोरधनदास के वारिसों को तामिल करवाई गयी थी। लेकिन उनके बताया गया कि हस्तगत प्रकरण से उनका कोई लेना देना नही है। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग द्वारा दिनांक 24.09.2003 के निर्णय द्वारा हस्तगत भूमि को मंदिर श्री ठाकुर विराजमान कैथून की माना गया है। तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट यह भी स्पष्ट किया गया है कि फुलमाली समाज द्वारा वर्ष 1998 के पश्चात मनोहर लाल जाति गोस्वामी एवं मनोहर लाल के पश्चात मनोहरलाल के पुत्र हेमराज को मंदिर के पुजारी के रूप मे मासिक वेतन पर रखा गया हैं वर्तमान मे श्री हेमराज द्वारा ही लगभग 15 वर्षो से सेवा पुजा का कार्य किया जा रहा है।

न्यायालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग कोटा के आदेश दिनांक 24.09.2003 का अवलोकन किया गया। सहायक आयुक्त द्वारा अपने उक्त आदेश मे मंदिर श्री रामचन्द्र जी भगवान फुलमाली पंचायत कैथून को अधिनियम 1959 की धारा 19 के तहत पंजीयन करने का आदेश दिया गया है। तथा मंदिर मे विराजमान मूर्तियों की सेवा पूजा एवं उनकी उचित व्यवस्था करने मंदिर व उसकी चल–अचल सम्पतियों की समुचित देखभाल एवं व्यवस्था करने हेतु उक्त प्रन्यास को अधिकृत किया गया है।

थानाधिकारी पुलिस थाना कैथून द्वसारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 01.04.2025 का अवलोकन किया गया थानाधिकारी की रिपोर्ट अनुसार हस्तगत आराजी के संबंध मे मुताबिक रिकोर्ड अभी तक कोई प्रकरण पंजीबद्ध नही हुआ है।

उक्त परिस्थितियों मे जबकि प्रतिवादी गोरधनलाल का निधन हो चुका है, प्रतिवादी के वारिसान द्वारा प्रकरण से कोई लेना–देना नही होना प्रदर्शित किया गया है, देवस्थान विभाग द्वारा प्रन्यास को मान्यता प्रदान करते हुये मंदिर की चल–अचल सम्पति की देखभाल हेतु अधिकृत किया हुआ है, तथा प्रन्यास द्वारा ही सन् 1998 के पश्चात से मंदिर की सेवा पूजा का कार्य करवाया जा रहा है, हम प्रन्यास द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाते है। अतः प्रन्यास द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मंदिर की आराजी को रिसीवरी मे लिये जाने का पूर्व आदेश निरस्त किया जाता है तथा मंदिर की आराजी प्रन्यास को संभलाये जाने का आदेश दिया जाता हैं।

उपखण्ड अधिकारी
को.

थानाधिकारी कैथून को निर्देशित किया जाता है कि हस्तगत आराजी का कब्जा प्रन्यास को संभलाया जावे तथा रिसीवरी से प्राप्त राशि प्रन्यास के खाते मे जमा करवाई जावे।

निर्णय की प्रति सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग कोटा को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जावे कि वे प्रन्यास की गतिविधियों, खर्चो, सेवा पूजा, मंदिर की भूमि की उचित देखभाल व नियमित रूप से प्रन्यास के खातों की ऑडिट सुनिश्चित करावे तथा यदि प्रन्यास द्वारा सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग के आदेश दिनांक 24.09.2003 की नियमानुसार पालना ना की जावे तो प्रकरण बनाकर मंदिरों की उचित देखभाल हेतु गठित ब्लॉक स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(गजेन्द्र सिह)
उपखण्ड अधिकारी
कोटा